सेवा में:— होम कन्ट्रोल/डीजीपी कन्ट्रोल, लखनऊ/इण्ट कन्ट्रोल/अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था/अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ.प्र.लखनऊ/अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, मेरठ/आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर/पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर। फैक्स

प्रेषक :— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।

पत्र संख्याः— एस0एम0सी0—सरा0कार्य/2022 दिनॉकः फरवरी 23, 2023

:: सराहनीय कार्य ::

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना रामराज पुलिस द्वारा दौराने चेकिंग अन्तर्राज्यीय अवैध मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का पर्दाफाश। 03 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से करीब 25 लाख रुपये कीमत का 838 किलोग्राम डोडापोस्त व करीब 67 लाख रुपये कीमत की 400 इन्वर्टर बैट्रीयां तथा घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक बरामद।

अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संजीव सुमन महोदय द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देहात के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी जानसठ के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 23.02.2023 को थानाध्यक्ष रामराज श्री सुनील शर्मा मय व0उ0नि0 श्री वीर नरायम सिंह उ0नि0 श्री हरीश कुमार उ0नि0 श्री कृष्णपाल सिंह मय हमराहीगण का0 1468 नवीन कुमार का0 1139 एसवीर मय गाड़ी सरकारी व चा0 है0का0 390 प्रवीन कसाना के वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था व चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति में थाना रामराज से रवाना होकर गंगा बैराज चौक पोस्ट, बिजनौर— मुजफ्फरनगर मार्ग पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों को चेक करने लगे। तभी जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि बिजनौर की तरफ से एक ट्रक जो तिरपाल से ढका हुआ है आ रहा है जिसमें भारी मात्रा में डोडा पोस्ता रका हुआ है जो मुजफ्फरनगर की ओर जाएगा। यदि जल्दी की जाए तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम सतर्कता पूर्वक बैरियर लगाकर बिजनौर की तरफ से आने वाले ट्रकों को रोककर चौकिंग करने लगे। कुछ देर पश्चात पुल पर लगे खम्भों के बल्बोंकी रोशनी में बिजनौर की तरफ से एक ट्रक जो तिरपाल से ढका हुआ था, आता दिखाई दिया जिसे देखकर मुखबिर ने इशारा करके बताया कि यही वह ट्रक है जिसमें डोडापोस्त रखा हुआ है और मुखबिर चला गया। ट्रक के नजदीक आने पर पुलिस टीम द्वारा ट्रक को रोक लिया गया तथा ट्रक चालक को पकड़ लिया तभी केबिन में बैठे दो व्यक्ति ट्रक से उतर कर सिंचाई विभाग के बने आवास की तरफ भागने लगे जिनको का0 1139 एशवीर सिंह व का0 1468 नवीन कुमार द्वारा दौड़ कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्तियों को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया गया तथा बताया गया कि आप अपनी व अपनी गाड़ी की तलाशी मजिस्ट्रेट अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी से दे सकते हैं। इसी दौरान क्षेत्राधिकारी जानसठ श्री शकील अहमद मौके पर आ गए। क्षेत्राधिकारी जानसठ के समक्ष पुलिस टीम द्वारा पकड़े गए व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उन्होने अपने नाम क्रमशः **1. सालवेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह निवासी ग्राम जोयके थाना लोपोके जिला अमृतसर पंजाब, 2. जितेन्द्र पुत्र हरमेल सिह निवासी चक कमालखां पोस्ट सोरियान अजनाला थाना भिंडीसीदन अमृतसर पंजाब, तथा 3. शम्भू घोष पुत्र शंकर घोष निवासी ग्राम केटेन थाना काकसा जिला वर्धमान पंश्चिम बंगाल** बताया।

अभियुक्तगण के कब्जे से **838 किलोग्राम डोडापोस्त, 400 डाइनेक्स ट्यूबलर इन्वर्टर बैट्रीयां तथा घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक नं0 पीबी 02 सीआर 3765** बरामद किया गया। अभियुक्तगण से बरामदा माल को नियमानुसार सील सर्वे मुहर किया गया। अभियुक्तगण से बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रामराज पर मु0अ0स0 20/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री ओंकार नाथ पाण्डेय द्वारा की जा रही है।

पूछताछ का विवरण– गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा प्रारम्भिक पूछताछ में बताया गया कि हम लोग झारखण्ड राज्य से सस्ते दामों में डोडा पोस्त खरीद कर जनपद मिदनापुर पश्चिम बंगाल में स्टोर कर लेते थे तथा मांग के अनुसार उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यो में होटल, ढाबो व परचून आदि दुकानों पर बेच देते थे। अभियुक्तगण द्वारा बरेली, मथुरा, मुजफ्फरनगर, शामली सहित आसपास के अन्य जनपदों एवं राज्यों में डोडा पोस्त की सप्लाई की जाती थी। अभियुक्तगण से बरामद इन्वर्टर बैट्रीयों के सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस द्वारा विस्तृत पूछताछ एवं जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. सालवेन्द्र सिह पुत्र अर्जन सिह निवासी ग्राम जोयके थाना लोपोके जिला अमृतसर पंजाब।
2. जितेन्द्र पुत्र हरमेल सिह निवासी चक कमालखां पोस्ट सोरियान अजनाला थाना भिंडीसीदन अमृतसर पंजाब।
3. शम्भू घोष पुत्र शंकर घोष निवासी ग्राम केटेन थाना काकसा जिला वर्धमान पंश्चिम बंगाल।

बरामदगी का विवरण–

- 838 किलोग्राम डोडापोस्त कीमत लगभग 25 लाख रुपये।
- 400 डाइनेक्स ट्यूबलर इन्वर्टर बैट्रीयां कीमत लगभग 67 लाख रुपये।
- 01 ट्रक नं0 जीबी 02 सीआर 3765 (घटना में प्रयुक्त)।

गिरफ्तार करने वाली टीमः–

1. थानाध्यक्ष सुनील शर्मा थाना रामराज मुजफ्फरनगर।
2. व0उ0नि0 श्री वीर नरायन सिंह थाना रामराज मुजफ्फरनगर।
3. उ0नि0 श्री हरीश कुमार थाना रामराज मुजफ्फरनगर।
4. उ0नि0 श्री कृष्णपाल सिह थाना रामराज मुजफ्फरनगर।
5. का0 1468 नवीन कुमार थाना रामराज मुजफ्फरनगर।

नोटः– गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के अवैध मादक पदार्थ तस्कर प्रवृत्ति के अपराधी हैं। अभियुक्तगण द्वारा घटना किए जाने का जुर्म इकबाल किया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के विस्तृत अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

कृते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
3/02/23
मुजफ्फरनगर।